संलग्नक : 16

(21)

उत्तर प्रदेश शासन/वन विभाग द्वारा मानक शर्तें तथा उनके मान्य होने का प्रमाण पत्र

पत्रांक : शासनादेश संख्या – 7314–1–3–1980/82/82 दिनांक 01.02.1982

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भांति संरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग और उसे कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे भूमि का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेंगे।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। (22)

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों की हस्तान्तरण यथासंभव प्रस्तावित नहीं किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा किसी विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न करने पर भी हस्तान्तरित भूमि संयुक्त तथा संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा। इस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगा।

10. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर 'एलाइनमेन्ट' तय होते समय स्थानीय स्थल पर वन विभाग का परामर्श 'लोक निर्माण विभाग' द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (पूर्व क्षेत्र) पौड़ा को सम्बोधित पत्र संख्या 668–सी दिनांक 11.02.82 में लिखित आदेशों का पालन भी 'लोक निर्माण विभाग' द्वारा किया जायेगा कि अपना मार्ग बदलना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर बदल पक्का

करना चाहिए विभाग से प्राप्त होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है। – **लागू नहीं**

11. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित किया जायेगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

12. वन भूमि पर ही वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया वन विभाग से सम्बन्धित किया जायेगा। या किसी पदाधिकारी का स्थानान्तरण वन विभाग द्वारा संभव नहीं हो सके और उनका बाजार भाव पर मूल्य देय होगा। – **लागू नहीं**

13. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्षों तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर से व 43.5 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों के पातन का निषिद्ध है। इसी प्रकार वन के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर हो सकेगा। – **लागू नहीं**

14. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि 'भारत सरकार' अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें दर्शाई जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

15. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाये अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

16. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन से जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। – **लागू नहीं**

17. विद्युत विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों /पौधों को सिंचाई हेतु जल पम्प चलाने एवं वन विभाग के कर्मचारियों को विद्युत विभाग के नियमानुसार उचित दर पर विद्युत आपूर्ति प्रदान की जायेगी।

18. विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर एलीन्मेंट तय होते समय स्थानीय स्थल पर वन विभाग का परामर्श "विद्युत विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (पूर्व क्षेत्र) पौड़ा को सम्बोधित पत्र संख्या 668/सी दिनांक 11.02.1982 में लिखित आदेशों का पालन भी विद्युत विभाग द्वारा किया जायेगा कि अपना मार्ग बदलना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर–बदल पक्का करना चाहिए विभाग से प्राप्त होगा और विद्युत लाइन का निर्माण भी आवश्यक है।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड–तृतीय, लखनऊ) को मान्य है।

(संजीव कुमार भास्कर)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड–तृतीय
लखनऊ

(SANJEEV BHASKER)
Executive Engineer
ETD-III,UPPTCL
Lucknow

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन प्रभाग
बाराबंकी

दिनांक : 26/08/17
स्थान : बाराबंकी